

प्रेषक,

इसरार अहमद,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख न्यायाधीश/न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
उत्तर प्रदेश।

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2015

विषय:- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1904 के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियमावली, 1995 के नियम 26(1) के अन्तर्गत परामर्शदाताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-14583/2008/एडमिन"जी0आई", दिनांक 19-11-2008 के साथ प्राप्त गाईडलाइन्स के सन्दर्भ में मा0 महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त कर गाईडलाइन्स के बिन्दु संख्या-5 एवं 7-में शासनादेश दिनांक 16-04-2014 द्वारा सूक्ष्म संशोधन के आदेश जारी किये जा चुके हैं। तदनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1542/सात-न्याय-2-2001-728/86, दिनांक-20 नवम्बर, 2001 को निरस्त करते हुए प्रदेश में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों की सहायता हेतु परामर्शदाताओं की आवश्यकता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-

- (1) अर्ह व्यक्तियों से आवेदन पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।
- (2) यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बन्धित हो जहाँ पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति करने में कोई बाधा नहीं है।
- (3) शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हैं और पारिवारिक कौन्सिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
- (4) विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- (5) आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

- (6) राज्य सरकार से आते परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर मा0 उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से नियुक्ति करने की समझौता उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
- (7) परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अभिसूचना जारी करेगी।
- (8) परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
- (9) परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

2- कृपया उक्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आवेदन पत्र आमन्त्रित कर अपनी संस्तुति शारान को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 न्यायालय के लिये परामर्शदाता की नियुक्ति की जा सके।

भवदीय,

(इसरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या- 102(1)/सात-न्याय-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निबन्धक (जुडिशियल) (इन्सपेक्शन), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-707/2015/एडमिन "जी-1, दिनांक 17-01-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(इसरार अहमद)
विशेष सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
NYAYA ANUBHAG-2 (ADHINASTHA NYAYALAYA)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.- 28/2020/1449/VII-Nyay-2-2020-153G/2019, dated 13 October, 2020.

NOTIFICATION

No.-28/2020/1449/VII-Nyay-2- 2020-153G/2019

Lucknow : Dated : /13 October, 2020

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the Family Courts Act, 1984 (Act no.66 of 1984) and sub-rule (1) of the rule 26 the Uttar Pradesh Family Courts Rules, 1995 the Governor with the concurrence of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to engage the following persons as Councillor in the Family Courts in Districts mentioned against each in Column-2 of the Schedule below for three years with effect from the date of their taking over charge

Schedule

S. No	Name Of District	Name and Address	Date of birth
1	2	3	4
1	Lucknow	1. Ms. Jyotsna Giri D/O Sri S.N. Giri 361, Radha Krishna Mandir Lane, Narhi, Lucknow	25.06.1971
		2. Ms. Abha Saxena D/O Late K.K. Saxena Flat No. 306A, Third Floor, Ujala Apartments, Sector 20, Indira Nagar, Lucknow	04.03.1969
2	Allahabad	1. Sri Virendra Singh R/o Village and post Ramaipur Police Station, Sarai Inayat, Allahabad.	10.03.1978
		2. Smt. Shweta Singh R/o kesarwani Cement Store near labour Crossing, Allahpur, Prayagraj.	01.01.1984
		3. Sushri Sandhya Kumari R/o 444/16A/1 Indrapuri Colony new Baihrana, Allahabad.	03.06.1981
		4. Sri uday Raj Singh R/o Village Purekhagan post Bagwana, Police Station- Ghoorpur, Tehsil- Karchana.	06.05.1979
		5. Sushri Sushila Devi R/o Sarhad Indira Nagar, Manikpur, Chitrakoot Karvi	01.01.1970

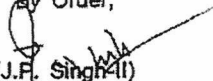
g mangal go

3	Azamgarh	1. Sri Shravan Kumar Gupta R/o Mog. Asifganj, Post Sadar, Police Station Kotwali, Azamgarh.	01.07.1970
		✓ 2. Sri Chandra Prakash Singh R/o Village & Post Heera Patti. Tehsil- Sadar, Azamgarh.	02.01.1978
		3. Sri Vinay Kumar Tiwari R/o Village coalbajbahadur, Gokulnagar, Sector-1, Post-Bhawamath, Police Station- Kotwali, Azamgarh.	01.11.1979
		4. Sri Kuldeep Kumar Singh, R/o Village Dhaurhara, Post Kabiruddinpur, P.S.- Atraulia, Tehsil- Budhanpur, Azamgarh	01.01.1976
4	Ballia	1. Sushri Nootan Srivastava R/o Quarter no. III-20, Collectorate Colony near Shiv Mandir, Civil Lines, Ballia.	01.07.1977
5	Kanpur Nagar	1. Sushri, Sangeeta Gupta R/o H. No. 13A, Netaji Nagar, PAC road, Kanpur Nagar.	01.04.1979
6	Kushinagar	1. Sri Vindhvasini Kumar Tripathi R/o Village Ahirauli Rai, Post-Ahirauli Bazar, P.S. Kasia Kushinagar.	24.08.1981
7	Lakhimpur Khiri	1. Smt. Nidhi Lata R/o Narayan Vihar Colony, Udaipur Mahewa, District- Lakhimpur Khiri.	04.07.1978
		2. Smt. Sunita Devi R/o Moh. Gautaiya Bagh, P.S. Kotwali, Lakhimpur Khiri.	15.06.1978
		3. Smt Urmila Singh R/o near Pandey Baba mandir, Palia Kalan, District- Lakhimpur Khiri.	20.10.1976
8	Muzaffarnagar	1. Sri Pravin Kumar R/o H. No. 23/1, Gali no. 14, Gandhi Colony, Muzaffarnagar.	01.06.1974
9	Pratapgarh	1. Sushri Mamta Singh R/o Village & Post- Kushfarah, P.S.- Mandhata, District- Pratapgarh.	20.07.1979

g mangal go

		2. Sushri Meera Aditya R/o Karnapur, katra Road, Near Krishi Bhawan, Post-Pratapgarh, District-Pratapgarh	15.08.1981
		3. Sushri Minni Shukla , Advocate R/o Shukulpur, Dahila Mau, Sadar, Pratapgarh	15.07.1975
10	Shravasti	1. Sushri Mahima Tiwari R/o village Kamdi, Post-Vishunapur Lohri, P.S.-Sirsiya, District-Shravasti.	01.07.1973
11	Unnao	1. Sri Arindam R/o Village Shivdeen khera (Chotkawa Khera), Post-Newrana District- Unnao.	01.04.1964
		2. Sushri Rubi Gyawali R/o 117Q/4, Indrapuri Kanpur.	28.06.1973
		3. Smt. Sabina Umar R/o 466 Jawahar Nagar (Gupta Colony), Unnao.	10.10.1962

- 2- The engagement of the persons for the post of Councillor is not appointment in Government Service and they will be attached to the respective Courts on contract basis.
- 3- After completion of tenure of three years, the candidates may be considered for next tenure on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad.
- 4- The engaged persons will receive such remuneration as may be determined by the State Government from time to time.

By Order,
(J.P. Singh) 
Principal Secretary

प्रेषक,
गजेन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
महानिबन्धक,
माओ उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

लखनऊ: दिनांक 11 दिसम्बर, 2023

विषय:- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में आबद्ध परामर्शदाताओं के कार्यकाल में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13555/एस.एफ.सी.एम.सेल/इलाहाबाद दिनांक 13.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के 11 जनपदों में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में आबद्ध परामर्शदाताओं के कार्यकाल में 03 वर्ष की वृद्धि हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 11 जनपदों में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्शदाताओं की अधिसूचना संख्या-28/2020/1449/सात-न्याय-2-2020-153जी/2019 दिनांक 13.10.2020 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये आबद्ध किया गया था।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली 1995 के नियम 26 के उपनियम (1) के साथ पठित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति से संलग्न सूची के कालम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त सूची के कालम-2 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित जिलों में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में आबद्ध परामर्शदाताओं के कार्यकाल में 03 वर्ष की वृद्धि करती है।

4. उक्त संलग्न सूची में उल्लिखित परामर्शदाताओं की आबद्धता अधिसूचना संख्या-28/2020/1449/सात-न्याय-2-2020-153जी/2019 दिनांक 13.10.2020 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेगी।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(गजेन्द्र)
विशेष सचिव

संख्या-1094(1)/सात-न्याय-2-2023, तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

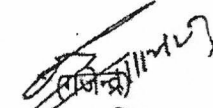
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सम्बंधित जिलाधिकारी।
4. सम्बंधित जनपद न्यायाधीश।
5. सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. न्याय अनुभाग-9 (बजट), उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-1094/सात-न्याय-2-2023-101जी/2022 दिनांक 11 दिसम्बर 2023 का
संलग्नक ।

क्र०सं०	जिला का नाम	परामर्शदाता का नाम (श्री/ सुश्री/ श्रीमती)
1.	मुजफ्फरनगर	प्रवीन कुमार
2.	कानपुर नगर	संगीता गुप्ता
3.	इलाहाबाद	श्वेता सिंह उदयरज सिंह वीरन्द्र सिंह
4.	श्रावस्ती	महिमा तिवारी
5.	प्रतापगढ़	ममता सिंह
6.	बलिया	नूतन श्रीवास्तव
7.	लखनऊ	आभा सक्सेना ज्योत्सना गिरी
8.	आजमगढ़	कुलदीप कुमार सिंह श्रवण कुमार गुप्ता विनय कुमार तिवारी
9.	कुशीनगर	विन्धवासिनी कुमार त्रिपाठी
10.	लखीमपुर खीरी	निधि लता उर्मिला सिंह
11.	उन्नाव	अरिन्दम


राजेंद्र
विशेष सचिव।



सदस्यी खबर

निष्पक्ष एवं निर्भीक राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सब पर नजर

दैनिक माध्यम

वारणसी एवं जौनपुर से प्रकाशित

Website : www.dainikmanyavar.com

वर्ष- 20 अंक- 58

वारणसी-शुक्रवार

भा.शु. 14 सवत 2083

25 सितंबर 2026

मूल्य रु. 3, पृष्ठ-8

आर. एन.

संक्षिप्त संम

इतना बोला-फि

तो युद्ध हिंद मा

फैले

तेहरान ईरा

है कि अमेरिका

देवारा हल्ला

पश्चिमी की जा

तक फैल सकत

के मुताबिक ई

खामनेई के

रहम सफावी

फैले ही फार

होमज स्टेट से

सामर तक पहु

हमला हुआ त

बढ़ सकता

मुताबिक इस

चोन जैसे बड़े

पर पड़ सकत

पश्चिम एशिया

जोड़ने वाल

है। यहाँ त

लेकर आ

हमले कार

चक्र

अंडिय

भारी

केल

अन

बना

प्रदेश

से देर

उत्तरा

राज्य

के तटय

वार्ड

को रहीं

के 10

माफ

सुरक्षित

है। मल्लिकार्जुन

जाने से

भारत के

चिंतन

किया है

भारत के

विद्वानों

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

प्रति

राहुल रोप क ज्ञान शून्य

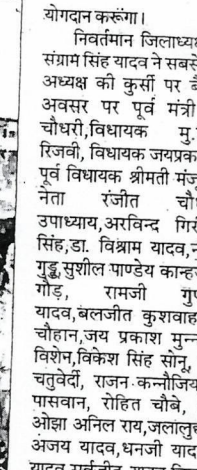
लेकर दिए गए बयानों पर राहुल रोप के ज्ञान शून्य होने का पता चल रहा है।



मेरे लिए सर्वोपरि है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर जो विश्वास जताया है उस पर शतप्रतिशत खरा उतरने का काम करूंगा और 2027 में बलिया के सातों सीट जीतकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान करूंगा।

सुनील मोर्य के प्रथम कार्यकर्ताओं का हुजूम

सुनील मोर्य के प्रथम कार्यकर्ताओं का हुजूम जिलाध्यक्ष/विधायक संग्राम सिंह यादव ने सबसे पहले उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया।



निवर्तमान जिलाध्यक्ष/विधायक संग्राम सिंह यादव ने सबसे पहले उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अम्बिका चौधरी, विधायक मु. जियाउद्दीन रिजवी, विधायक जयप्रकाश अंचल, पूर्व विधायक श्रीमती मंजू सिंह, सपा नेता रंजीत चौधरी, संजय उपाध्याय, अरविन्द गिरी, यशपाल सिंह, डा. विश्राम यादव, नीरज सिंह गुड्डा, सुशील पाण्डेय कान्हजी, राजेश गोड, रामजी गुप्ता, रामजी यादव, बलजीत कुशवाहा, सुभाष चौहान, जय प्रकाश मुन्ना, धनंजय विशेन, विकेश सिंह सोनू, शशिकांत चतुर्वेदी, राजन कन्नौजिया, रामेश्वर पासवान, रोहित चौबे, आशुतोष ओझा अनिल राय, जलालुद्दीन जेदी, अंजय यादव, धनजी यादव, चंदन यादव, सर्वजीत यादव, विजय शंकर यादव, सुभाष यादव, गुरुज लाल राजभर, रवींद्र यादव, अखिलेश गुप्ता, मंटू साहनी, जगमोहन विंद, हरेंद्र गोड, अटल पाण्डेय, रामनाथ पटेल, बलराम यादव, विनायक मोर्य हरेंद्र राम नीरज यादव, संचालन बीरबल राम ने किया।

संत रविदास की प्रतिमा खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश, अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की

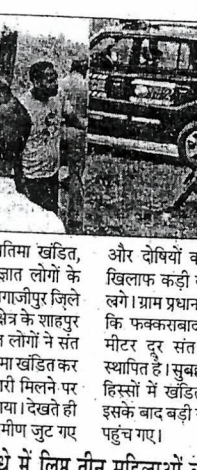
संत रविदास की प्रतिमा खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश, अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की



संत रविदास की प्रतिमा खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश, अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग गांगजापुर जिले के कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के शाहपुर उसरी ग्राम सभा में अज्ञात लोगों ने संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा खंडित कर दी। गुरुवार सुबह जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जुट गए और देखियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। ग्राम प्रधान वृजेश यादव ने बताया कि फक्कराबाद चट्टी से करीब 300 मीटर दूर संत रविदास की प्रतिमा स्थापित है। सुबह ग्रामीणों ने प्रतिमा कई हिस्सों में खंडित होने की सूचना दी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए।

अवैध शराब के धंधे में लिप्त तीन महिलाओं को किया गिरफ्तार

अवैध शराब के धंधे में लिप्त तीन महिलाओं को किया गिरफ्तार



फरेंदा। वृजमनगंज पुलिस ने बुधवार को ग्राम पंचायत शिवपुर के धोबी टोला में छपा मारकर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 12 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। छपा मारते ही धंधेबाजों ने इधर-उधर भागने लगे। कई कारोबारी भागने में सफल हो गए। पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से कुल 12 लीटर कच्ची शराब, चार पतौला, दो चोना, तीन 50-50 लीटर की गैलन, पांच किलो लहन, दो किलो नौसादर बरामद किया।

कुटुंब न्यायालय, आजमगढ़ में परामर्शदाताओं के 4 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित

कुटुंब न्यायालय, आजमगढ़ में परामर्शदाताओं के 4 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित



आजमगढ़। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश एवं पत्रांक संख्या 7659/S.F.C.M. Cell/Lucknow (दिनांक 14.09.2026) के अनुपालन में, जनपद के कुटुंब न्यायालय, आजमगढ़ में परामर्शदाता (काउंसलर) के कुल 04 रिक्त पदों पर संविदा आधारित नवीन नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता और आयु सीमा 75 जारी प्रक्रिया के अनुसार, यह विशेष प्रयास किया जाएगा कि नियुक्त होने वाले व्यक्ति उसी जिले से संबंधित हों जहाँ कुटुंब न्यायालय स्थित है। हालांकि, यदि स्थानीय स्तर पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो अन्य जिलों के योग्य उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परामर्शदाता पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता समाजशास्त्र या मनोविज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री तथा समाज सेवा अनुभव निर्धारित की गई है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के पास सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री है। और जिन्हें कुटुंब काउंसलिंग का 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। उन्हें चयन प्रक्रिया में विशेष वरीयता दी जाएगी। कुटुंब न्यायालय में परामर्शदाता के पद पर यह नियुक्ति शासकीय सेवा के अंतर्गत नियमित नियुक्ति नहीं मानी जाएगी, बल्कि यह पूरी तरह से न्यायालय की संविदा के आधार पर आवेदन होगा। प्रारंभ में इनका कार्यकाल 03 वर्ष का होगा, और संतोषजनक सेवा एवं उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर आगे विचार किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों की राज्य सरकार द्वारा स्कूटी की जाएगी और प्रत्येक पद के सापेक्ष पांच योग्य लोगों की सूची तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की जाएगी।

अपने पिता की नृशंस हत्या कराई थी। पुलिस ने हत्या की पूरी जांच करने वाले मास्टरपाईंडर बड़े सुबत मिर्नोवा के चिन्ते जान की केवल अक्षर

भारत के विद्वानों ने हमेशा से चिंतन किया है। चिंतन की उसी परंपरा को ध्यान में रखकर भारतीय ऋषि हमेशा माने से वैदिक बंद हो गया है।